न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/357

1. जगनी बाई पत्नी रामरतन मीणा उम्र 60 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बजरंग लाल पुत्र रामरतन मीणा उम्र 40 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र राम रतन मीणा उम्र 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. मुकेश पुत्र राम रतन मीणा उम्र 32 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल आत्मज मगना भील जाति भील निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. नन्दकिशोर आत्मज गोबरी लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. नन्दलाल आत्मज श्री भैरूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 372 की 07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी को दिनांक 07.08.76 को आवंटित की जाकर दिनांक 26.11.76 को कब्जा दिया गया था और वादी के खाते में दर्ज की गई । उक्त भूमि पर सेटलमेंट हो चुका है । सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने वादी को आवंटित

उसके खाते व कब्जे काश्त की उक्त 07 बीघा भूमि के नया खसरा नम्बर 458 की 0.51 हैक्टर कायम कर गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी कम 1 के खाते में अवैध रूप से दर्ज कर दिया । इसी प्रकार खसरा नम्बर 459 रकबा 0.38 कायम कर प्रतिवादी कम 2 के खाते दर्ज कर दिया कुछ भूमि खसरा नम्बर 454 में मिला दी है जबकि उक्त भूमि वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी । प्रतिवादी ने गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 458 की 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 की 0.38 हैक्टर व खसरा नम्बअर 454 की 0.23 हैक्टर भूमि कुल 1.12 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 रामरतन एवं प्रतिवादीगण कम 1/1 से 1/4 प्रतिवादी कम 2 व 3 का नाम हटाये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण कम 2 नन्दकिशोर को खसरा नम्बर 459 की 0.38 हैक्टर भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी कम 3 नन्दलाल को खसरा नम्बर 454 रकबा 0.23 हैक्टर से बेदखल किया जाकर वादी को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम होने के बाद वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के बयान बतौर पीडब्ल्यू–1 लिये हैं । पीडब्ल्यू– 2 से जिरह नहीं हुयी ओर प्रतिवादी रामरतन के कायममुकामान अपीलान्ट को कोई साक्ष्य पेश करने का मौका दिये बिना ही वादी का वाद डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत में केवल एकपक्षीय वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 की साक्ष्य का विवेचन कर दावा डिक्री कर अपीलान्ट को कयास के आधार पर अतिकमी मानते हुए बदेखली का आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के साथ किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं किया है और न ही अपनी सहमति दी है । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुआ था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खाली ऑर्डरशीट पर मात्र उपस्थिति के हस्ताक्षर किये थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.91 की प्रमाणित प्रति है, नकल जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 की प्रमाणित प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043 से 2062 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 की प्रमाणित प्रति, नकल इंतकाल संख्या 286 ग्राम कंवरपुरा की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं तथा प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने एक दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और खसरा नम्बर 372 की 07 बीघा भूमि उन्हें 1976 में आवंटित हुई थी और कब्जा दिया गया था । सेटलमेंट विभाग के द्वारा यह आराजी वादी के खाते में दर्ज नहीं की गई । फर्द मिलान और नम्बर मौके की स्थिति से भिन्न बनाये हैं । खसरा नम्बर 372 की आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 के खाते में दर्ज नहीं थी । इसके नये खसरा नम्बर 458 रकबा 0.51 हैक्टर कायम कर अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज कर दिया है । अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया जबकि पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और लोक अदालत में वादी मोहनलाल और प्रतिवादी क्रम 1 के कायम मुकामान बजरंगलाल, मुकेश, महेन्द्र और जुगराज, नन्दकिशोर की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल का निर्णय भी पारित किया हे जबकि बेदखली मियाद बाहर है । आवंटन आदेश की प्रति पेश की गई है । आवंटन की पत्रावली पेश नहीं की है । सम्पूर्ण आराजी आवंटित नहीं की गई है । सीलिंग में आराजी जाने के बाद भी कुछ आराजी मूल खातेदार के खाते में रही। उसमें से अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड आराजी क्रय की । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सन् 1976 में सीलिंग सरप्लस भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । सेटलमेंट के उपरान्त नये नम्बर कायम किये गये हैं और आराजी वादी के खाते में दर्ज नहीं की । बिना किसी न्यायालय के आदेश के रामरतन के खाते में दर्ज कर दी जबकि इस पर कब्जा वादी रेस्पोडेन्ट का ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से समस्त साक्ष्यों

की विवेचना करते हुए दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वादी के गवाह की जिरह में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी मोहन लाल व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कम 1/2 बजरंग लाल, 1/3 महेन्द्र, 1/4 मुकेश उपस्थित हुए हैं । इसके अलावा नन्दकिशोर प्रतिवादी कम 2 के पुत्र जुगराज की उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि जुगराज इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थिति हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा